न्यायालय सहायक कलक्टर (एसडीओ) चौहटन जिला बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी – श्री रणछोड़ लाल, आर.ए.एस

राजस्व वाद सं. 59/2025
अन्तर्गत धारा 88,209 RT Act.

वादीगण – 1. ठार मोहम्मद 2. इब्राहिम 3. मीर मोहम्मद पि. दोस मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी बींजासर तहसील चौहटन हाल तह. धनाऊ जिला बाड़मेर

बनाम

प्रतिवादीगण –

1. मजना पुत्र मनजी 2. देवा पुत्र मनजी जाति भील निवासी बींजासर 3. फेज मोहम्मद 4. हिदायतुल्ला पि. नजर अली 5. श्रीमति धाणो पत्नी नजर अली 6. इकरूद्वीन पुत्र अली मोहम्मद 7. श्रीमति जनत पत्नी अली मोहम्मद 8. गुलाम रसूल 9. परवीन10. जाकब पि. सलीम खां 11. सकीना पत्नी सलीम खां 12. जुसब खां परिया खां 13. शाहमीर पुत्र शेर मोहम्मद 14. मिराई पत्नी शेर मोहम्मद 15. अमीर 16. कासम पि. अयुब 17. करीमा पत्नी अयुब 18. मलूक 19. पनूखां 20. दोला खां पि. कमाल 21. सोनी पत्नी कमाल जातियान मुसलमान निवासी बींजासर 22. मायोदेवी पत्नी शंकरसिंह जाति राजपुरोहित निवासी चौहटन 23. सरदार खां पुत्र ठार मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी बींजासर 24. मैनेजर बी.सी.बी.बैक शाखा चौहटन 25. मैनेजर एसबीबीजे शाखा चौहटन 26. तहसीलदार चौहटन 27. नवाज अली पुत्र अयुब जाति मुसलमान निवासी बींजासर तहसील चौहटन हाल तह. धनाऊ जिला बाड़मेर

अधिवक्तागण – वादी वकील – **श्री मोहनसिंह सोढ़ा, विक्रम सिंह भाटी**
प्रतिवादी वकील – **श्री बलदेवसिंह राठौड़**
(प्रतिवादी सं. 2,8,11,13,17,18,19,23)
शेष एकतरफा

चौहटन

–:: निर्णय ::–

Signature Not Verified
Digitally signed by Ranchhod Lal
Date: 2026.02.20 18:09:31 IST
Reason: SelfAttested

दिनांक :– 04.02.2026

वादीगण के वाद का सार संक्षेप में इस प्रकार है कि वादीगण व प्रतिवादीगण सं. 1 से 21 के सहखातेदारी का मौजा बींजासर तहसील चौहटन के खेत खसरा नम्बर 211, रकबा 144 बीघा 14 विस्वा का आया हुं, जिसमें प्रतिवादी सं. 1 व 2 का हिस्सा 1/72 तथा प्रतिवादी सं. 3 से 12 तक का 1/2 हिस्सा तथा इसी प्रकार प्रतिवादीगण संख्या 13 से 17 व 27 का 1/4

सहायक कलक्टर (SDO) चौहटन

हिस्सा तथा इसी प्रकार प्रतिवादीगण संख्या 18 से 21 का 1/8 हिस्सा तथा इसी प्रकार नबाब का 1/8 हिस्सा था। खातेदार नवाब खां के कुल 04 पुत्र थे जिनमें 1/8 हिस्सा अनुसार वादग्रस्त भूमि में प्रत्येक का 1/32 हिस्सा बनता है, जिसमें पहले कापड़ी व आजाद पाकिरतान चले गये जिनका 2/32 हिस्सा रकबा 09–01 बीघा भूमि खालसा राज्य सरकार हो गई, जिसका नामान्तरकरण संख्या 666 मौजा बींजासर भरा जाकर खालसा का इन्द्राज किया गया। इससे पूर्व नबाव के पुत्र फोटो ने अपना 1/32 हिस्सा मुस्समी नजर अली को बेचान कर दिया था। इस प्रकार राजस्व रेकर्ड से 3/32 हिस्सा राजस्व रेकर्ड से हट चुका था शेष हिस्सा जाम का 1/32 हिस्सा ही इन्द्राज रखना था तत्पश्चात खातेदार जाम पुत्र नवाब भी पाकिस्थान चला गया जिसकी भूमि भी खालसा सरकार हो गई जिसका नामान्तरकरण संख्या 956 भरा जाकर रकबा 04.03 बीघा खालसा दर्ज की गई। स्वर्गीय नजर अली द्वारा स्वर्गीय नवाब के पुत्र फोटा से जो भूमि हिस्सा 1/32 क्रय किया था परन्तु राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज हिस्सा 1/8 दर्ज ही रखा था। स्वर्गीय नजर अली द्वारा श्रीमति माया देवी को बैचान दिनांक 31.12.2009 को किया उसमें रेकर्ड में 1/8 हिस्सा दर्ज, जिस कारण बैचान में भी वही 1/8 हिस्सा दर्ज किया, जबकि वास्तव में बैचान हिस्सा 1/32 का किया था तत्पश्चात रेकर्ड की गलती से हिस्सा 1/8 दर्ज का ज्ञान होने पर आपसी बातचीत से श्रीमति मायादेवी ने पुनः बैचान दिनांक 20.03.2015 को स्वर्गीय नजर अली के परिवार के मुख्यिा फैज मोहम्मद को हिस्सा 1/8 कर दिया है और राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज हो चुके है परन्तु राजस्व रेकर्ड गलत इन्द्राज हिस्सा 1/8 को शुद्ध करवाने हेतु यह वाद पेश किया गया है।

वादग्रस्त खसरा संख्या 211 मौजूदा खसरा संख्या 674/211 में पक्षकारों के हिस्से पूर्व माफिक रखते हुए जहां हिस्सा 1/8 दर्ज है उसे सही करते हुए मौजुदा खातेदार संख्या 3 का हिस्सा 1/3 दर्ज करवाने हेतु यह वाद पेश कर इस्तदुआ चाही गई है।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन/रजि. सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 2, 8, 11, 13, 17, 18, 19, 23 की ओर से अधिवक्ता श्री बलदेवसिंह राठौड़ द्वारा वकालतनामा मय जवाबदावा पेश किया। शेष प्रतिवादीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं आया, उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। पत्रावली वादी साक्ष्य हेतु मुकर्र की गई। वादी साक्ष्य में पीडब्ल्यू–1 वादी सं. 1 ठार मोहम्मद पुत्र दोस मोहम्मद, पीडब्ल्यू–2 वादी सं. 2 इब्राहीम पुत्र दोस मोहम्मद, पीडब्ल्यू–3 रहमतुल्ला पुत्र खान मोहम्मद व पीडब्ल्यू–4 सरदारखान पुत्र ठार मोहम्मद का शपथ पत्र पेश किया। जिसके समर्थन में लिखित दस्तावेजी साक्ष्यों में प्रदर्श–1 से 10 न्यायालय में Exhibit करवाया गया। अधिवक्ता वादीगण ओर साक्ष्य पेश नही करना चाहते है। तथा प्रतिवादी साक्ष्य पेश नही चाहते है। अतः अवसर बंद किया जाता है। उपस्थित पक्षकारान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। वादीगण अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में वादपत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए उपरोक्त वादग्रस्त आंराजी में मौजूदा खातेदार सं. 3 का हिस्सा 1/8 दर्ज की सही कर [illegible] 1/32 हिस्सा दुरूस्त किये ज़ाने हेतु निवेदन किया। प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा [illegible] को स्वीकार किया। अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली व [illegible] उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन एवं अवलोकन किया गया। वादग्रस्त आराजी में नवाब ख[illegible] 1/8 हिस्सा अनुसार उनके कुल चार पुत्रो में प्रत्येक का 1/32–1/32 हिस्सा बनता था। उनके पुत्रों में पहले कापड़ी व आजाद

सहायक कलक्टर (SDO) चौहटन

Signature Not Verified
Digitally signed by Ranchhod Lal
Date: 2026.02.20 18:09:31 IST
Reason: SelfAttested

पाकिस्थान चले गये जिनका हिस्सा 2/32 रकबा 09 बीघा 01 विस्वा भूमि खालसा सरकार होने से नामान्तरकरण संख्या 666 मौजा बिंजासर में भरा जाकर खालसा इन्द्राज किया गया। तथा नवाब के पुत्र फोटा ने अपना हिस्सा 1/32 मुस्समी नजर अली को बेचान करने से 3/32 हिस्सा राजस्व रेकर्ड से हट चुका था शेष हिस्सा जाम का 1/32 ही बचा परन्तु राजस्व कर्मचारी द्वारा गलती से जाम का हिस्सा नामान्तरकरण संख्या 666 में शेष 1/8 हिस्सा बता दिया जबकि जाम का हिस्सा 1/32 का ही इन्द्राज रखना था लेकिन जाम पुत्र नवाब भी पाकिस्तान चला गया भूमि खालसा सरकार हो गई। नामान्तरकरण संख्या 956 भरा जाकर रकबा 04 बीघा 03 बिस्वा खालसा दर्ज किया गया। स्वर्गीय नजर अली द्वारा स्वर्गीय नबाब के पुत्र फोटा से जो भूमि हिस्सा 1/32 क्रय किया था, राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज हिस्सा 1/8 दर्ज ही रहा था जो आगे से आगे 1/8 हिस्सा दर्ज किया गया। वास्तव में बैचान 1/32 हिस्सा उसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद 1/32 दर्ज होना था, लेकिन गलती से 1/8 हिस्सा दर्ज किया गया। न्यायालय के मतानुसार वादीगण का वाद स्वीकार करने योग्य है।

अतः न्यायाहीत में वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर मौजा बींजासर तहसील धनाऊ के खसरा संख्या 211 मौजूदा खसरा संख्या 674/211 में पक्षकारो के हिस्से पूर्व माफिक रखते हुए मौजुदा खातेदार सं. 3 का हिस्सा 1/8 को सही करते हुए हिस्सा 1/32 दुरूस्त किया जाता है। उपरोक्तानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार धनाऊ को लिखा जावें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिले दफ्तर हो

निर्णय आज दिनांक 04.02.2026 को सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिले दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर (SDO) चौहटन

(रणछोड़ लाल)
सहायक कलक्टर
(एसडीओ) चौहटन

सहायक कलक्टर (SDO) चौहटन

Signature Not Verified

Digitally signed by Ranchhod Lal
Date: 2026.02.20 18:09:31 IST
Reason: SelfAttested